/आनन्द किशोर, भा.प्र.से.
अपर मुख्य सचिव
Anand Kishor, I.A.S.
Additional Chief Secretary

सत्यमेव जयते

बिहार सरकार
वित्त विभाग
पुराना सचिवालय, पटना-800015
Govt of Bihar,
Finance Department
Old Secretariat, Patna - 800015
Tel. No. - 0612-2215805
Email - finsecy-bih@nic.in

पत्र सं०–एम–4–21/2021 1354 /वि०

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी,
सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 06-02-2026

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु निधि निकासी एवं व्यय नियंत्रण की व्यवस्था के संबंध में दिशा–निर्देश।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में कोषागारों में बड़ी संख्या में विपत्र प्रस्तुत किये जाते है, जिससे राशि निकासी के क्रम में विपत्रों के सम्यक जाँच में कठिनाई होती है। इसके साथ ही कोषागारों से निकासी की गई राशि के लंबी अवधि तक अव्यवहृत रहने के दृष्टांत भी उजागर हुये हैं। बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम–176 एवं 177 के आलोक में कोषागार से उतनी ही राशि की निकासी की जानी चाहिए जितना तत्काल व्यय हेतु आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु पूर्व के वित्तीय वर्षों में आवश्यक दिशा–निर्देश दिये जाते रहे हैं ताकि अनावश्यक रूप से राशि की निकासी न की जाय तथा आवश्यक प्रस्तुत विपत्रों की सम्यक जाँच के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

2. अतएव चालू वित्तीय वर्ष (2025–2026) के अंतिम माह (फरवरी एवं मार्च) में निधि निकासी के क्रम में निम्नांकित निर्णय संसूचित किये जाते हैः–

(i) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम से संबंधित SNA/SNA SPARSH, राज्य स्कीम से अतिरिक्त व्यय (केन्द्रांश में कमी अथवा Top up के रूप में), Special Assistance to States for Capital Investment से संबंधित विपत्र, केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम, केन्द्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, सामाजिक सुरक्षा योजना, छात्रवृत्ति योजना इत्यादि मामले, जिनमें बैंक खाता के माध्यम से भुगतान/प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण की अनिवार्यता हो, को छोड़कर अन्य किसी भी मामले में कोषागार से राशि की निकासी कर उसे बैंक खाता में Park नहीं किया जायेगा।

(ii) विभिन्न प्रकार के कार्य अग्रिम (यथा, मोबिलाईजेशन अग्रिम, सुरक्षित अग्रिम, सामग्री और खरीद अग्रिम एवं अन्य अग्रिम) एवं GeM के तहत अधिप्राप्ति हेतु GPA में राशि अंतरण/हस्तांतरण को छोड़कर अन्य किसी भी मामले में **₹1.00 करोड़ (एक करोड़ रूपया)** से अधिक राशि की अग्रिम निकासी वित्त विभाग की सहमति के पश्चात की जा सकेगी।

(iii) Special Assistance to States for Capital Investment से संबंधित राशि को छोड़कर अन्य सभी मामलों में वित्त विभागीय सहमति के उपरांत ही पी0एल0 खाते में राशि हस्तांतरित की जा सकेगी।

(iv) अनुरक्षण एवं मरम्मत मद की राशि पी0एल0 खाता में संधारित नहीं की जायेगी। जिन मामलों में संदर्भित मद की राशि पी0एल0 खाता में संधारित की गई है, उनमें पी0एल0 खाता से उक्त मद की राशि के पूर्ण व्यय के उपरांत ही चालू वित्तीय वर्ष में बजट में प्रावधानित राशि से व्यय किया जायेगा। इसके साथ ही पी0एल0 खाता में उक्त मद की अवशेष राशि को इसी वित्तीय वर्ष में घटायें वापसियाँ के रूप में समेकित निधि में जमा करा दिया जाना आवश्यक होगा।

Scanned with OKEN Scanner

(v) सभी विभाग/कार्यालय प्रधान तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वर्तमान में उपलब्ध बजट उपबंध/आवंटन के अधीन सभी तरह के विपत्र नियमानुसार तैयार कर **दिनांक 20.03.2026 तक** निम्नांकित समय–तालिका के अनुसार संबंधित कोषागार में प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करेंगे। विभिन्न आकस्मिक व्यय मदों से संबंधित विपत्र दिनांक 20.03.2026 के पश्चात् प्रस्तुत नहीं किये जायेंगेः–

क्र०	**संबंधित विपत्र की अवधि**	**कोषागार में प्रस्तुत करने की समय–सीमा**
1.	जनवरी, 2026 तक का सभी विपत्र	28 फरवरी, 2026 तक
2.	फरवरी, 2026 तक का सभी विपत्र	15 मार्च, 2026 तक
3.	विभिन्न व्यय मदों से संबंधित केवल माह मार्च, 2026 के विपत्र	20 मार्च, 2026 तक

नोटः– दिनांक **20 मार्च, 2026 के बाद** कोई भी विपत्र कोषागार में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(vi) कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करने से संबंधित उक्त निर्धारित समय–सीमा आपदा से संबंधित व्यय/न्यायालय/लोकायुक्त कार्यालय/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग/बिहार मानवाधिकार आयोग/राज्य सूचना आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/राज्यपाल सचिवालय/विधान मंडल/सूद एवं मूलधन के किस्त का भुगतान/जयघोष/मुख्यमंत्री सचिवालय/केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम/केन्द्र प्रायोजित स्कीम अंतर्गत SNA SPARSH के माध्यम से व्यय/केन्द्र प्रायोजित स्कीम में केन्द्रांश एवं राज्यांश की निकासी कर SNA Account में स्थानांतरण/केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग तथा 50 वर्षीय सूद रहित Special Assistance to States for Capital Investment से संबंधित विपत्रों के साथ–साथ निम्न विपत्रों पर लागू नहीं होंगे :–

क्र0	**विषय**	**विषय शीर्ष (Unit Code)**
1.	वेतन	01–01 से 01–07 तक
2.	सहायक अनुदान वेतन	31–04
3.	संविदा	28–02 से 28–05
4.	किराया महसूल एवं कर	14–01
5.	विद्युत प्रभार	13–04
6.	विधि प्रभार	13–05
7.	सभी प्रकार का सेवान्त लाभ, पेंशन, जी0पी0एफ0 आदि	

3. अतएव अनुरोध है कि अपने विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों में निधि निकासी के क्रम में उक्त दिशा–निर्देशों का दृढ़तापूर्व अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

विश्वासभाजन

6/2/26

(आनन्द किशोर)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः–एम–4–21/2021–1354/वि० **पटना, दिनांक**–06-02-2026

प्रतिलिपिः–प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/2/26

अपर मुख्य सचिव।

Scanned with OKEN Scanner